

आरईसी लिमिटेड

हितधारक सहभागिता नीति

(दिनांक 31.05.2024 को आयोजित 515वीं बोर्ड की बैठक में निदेशक मण्डल के द्वारा अनुमोदित)

1. प्रस्तावना

आरईसी लिमिटेड (जिसे आगे “आरईसी,” “हम,” “हमें,” “हमारा” कहा जाएगा) जवाबदेही, समझ और विश्वास के आधार पर मजबूत हितधारक संबंधों का स्थापित करने के महत्व को स्वीकार करता है।

इस नीति के संदर्भ में, हितधारक उन व्यक्तियों या समूहों को दर्शाता है जो आरईसी की गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, साथ ही वे जो आरईसी के व्यावसायिक संचालन में निहित स्वार्थ रखते हैं या ऐसे संचालन के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

आरईसी कार्मिकों, व्यावसायिक सहयोगियों (आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों और सेवा प्रदाताओं), शेयरधारकों/निवेशकों, बैंकिंग संस्थानों, नियामक निकायों, ग्राहकों और पड़ोसी समुदायों को महत्वपूर्ण हितधारक मानता है।

यह नीति हितधारकों की पहचान करने, उन्हें शामिल करने और प्रबंधित करने के लिए हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस नीति के तहत, आरईसी लिमिटेड निम्न कार्य करेगा:

- प्रभावी हितधारक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सहभागिता पद्धतियाँ विकसित करें और पर्याप्त संसाधन और जिम्मेदारियाँ आवंटित करना।
- आवश्यक कानूनों और विनियमों का पालन करें और कानूनी अनुपालन को लगातार बनाए रखने के लिए आवश्यक परमिट और पंजीकरण का अनुपालन करें।
- यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि सभी हितधारक समूह व्यवसाय द्वारा उत्पन्न मूल्य से समान रूप से लाभान्वित हों और विवादों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से हल किया जाए।
- सहभागिता गतिविधियों का संचालन गैर-भेदभावपूर्ण और संवादात्मक तरीके से करना।
- सभी सहभागिता प्रयासों में समावेशिता, पारदर्शिता, वास्तविकता, पूर्णता और सांस्कृतिक उपयुक्तता के सिद्धांतों को एकीकृत करना।
- हितधारकों के मतभेदों या शिकायतों को न्यायसंगत, समयबद्ध और रचनात्मक तरीके से दूर करने की दिशा में कार्य करना।
- हितधारकों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना और बातचीत के लिए संबंध और संचार माध्यम के दायरे को रेखांकित करना।
- हितधारकों और प्राकृतिक पर्यावरण पर नीतियों, निर्णयों, सेवाओं और संबंधित संचालनों के प्रभाव के बारे में स्वीकार करना, जिम्मेदारी लेना और पारदर्शिता को बनाए रखना।
- आरईसी लिमिटेड में प्रशिक्षण और संचार पहलों के माध्यम से विभिन्न परिचालन स्तरों पर कार्मिकों के बीच हितधारकों से जुड़े सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- वार्षिक रूप से न्यूनतम स्तर पर सहभागिता गतिविधियों को प्रस्तुत करना।
- हितधारक सहभागिता प्रक्रिया में लगातार सुधार करना।

2. हितधारकों के पहचान और सहभागिता की प्रक्रिया

आरईसी लिमिटेड अपने हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद और मुक्त, भागीदारीपूर्ण सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हितधारक की पहचान और सहभागिता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

क) हितधारकों की पहचान और प्राथमिकता:

- o हम उन व्यक्तियों या समूहों की सावधानीपूर्वक पहचान करते हैं जिनकी हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, संचालनों और परिणामों में रुचि है या जो उन पर प्रभाव डालते हैं। हितधारकों में वे लोग शामिल हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी गतिविधियों या सेवाओं से प्रभावित होते हैं, साथ ही वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर हम अपने संचालन के लिए निर्भर हैं।
- o हितधारकों को आरईसी लिमिटेड के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- o हितधारकों की प्राथमिकता हमारे संचालन के लिए उनके महत्व या उन पर हमारे संचालन के प्रभाव के परिमाण द्वारा निर्धारित की जाती है।

ख) सहभागिता के तरीकों और आवृत्ति को स्थापित करने में रणनीतिक मिश्रण शामिल है, जिसके अंतर्गत बैठकें, प्रतिक्रिया सत्र, सर्वेक्षण और उद्योग मंच आते हैं।

ग) आवश्यकता पड़ने पर हितधारकों की सहभागिता क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना।

घ) नियमित रूप से सहभागिता परिणामों की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति बनाना।

ड) इस नीति के तहत निम्नलिखित विभाग उत्तरदायी होंगे :

विभिन्न हितधारकों के साथ सहभागिता के लिए उत्तरदायित्व मैट्रिक्स				
क्र. सं.	हितधारक समूह	पदनामित अधिकारी	सहभागिता तंत्र	सहभागिता की आवृत्ति
1	खुदरा बॉण्ड और संस्थागत बॉण्ड	ईडी (खुदरा बॉण्ड) ईडी (संस्थागत बॉण्ड)	ई मेल वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से सूचना का प्रसार	तिमाही /वार्षिक / आवश्यकतानुसार
2	शेयरधारक	ईडी (सीएस)	ई मेल वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से सूचना का प्रसार	तिमाही /वार्षिक / आवश्यकतानुसार

3	कार्मिक	ईडी (एचआर)	सर्वेक्षण प्रशिक्षण व्यक्तिगत संवाद विभागीय बैठकें सांस्कृतिक कार्यक्रम	तिमाही /वार्षिक/ आवश्यकतानु सार
4	समुदाय	ईडी (सीएसआर)	सर्वेक्षण /प्रभावी मूल्यांकन सीएसआर गतिविधियां व्यक्तिगत संवाद परियोजना आधारित परिचर्चा	आवश्यकतानुसार
5	ग्राहक	ईडी(पीएसपीएमपी) ईडी (आरई) ईडी(एसओपी) ईडी (आई और एल)	ईमेल/एसएमएस वेबसाइट पत्र/टेलीफोन	वार्षिक/ आवश्यकतानुसार
6	आपूर्तिकर्ता और निविदाकार	ईडी (पीसीएम)	ईमेल/एसएमएस बैठक पत्र/टेलीफोन	तिमाही /वार्षिक/ आवश्यकतानुसार

इस नीति की निश्चित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुचारु रूप से चल रही है और इसे आवश्यकतानुसार अद्यतन भी किया जाएगा।

